न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 127/2015

1 रामेश्वर पुत्र भानाराम (मृतक)।
1/1 धन्नाराम पुत्र रामेश्वर।
2 भगवानाराम पुत्र भानाराम।
3 जगदीश पुत्र भानाराम।
4 बीरबल पुत्र मोहनराम।
5 रामकुमार पुत्र मोहनराम।
6 श्योकरण पुत्र मोहनराम।
7 मनी देवी पत्नी मोहनराम।
8 विद्याधर पुत्र फुलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण दुड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बंशीधर पुत्र धोकलराम।
2 रामनिवास पुत्र धोकलराम।
3 श्रीमती कमला देवी पत्नी धोकलराम मृतक।
4 शांति पुत्री धोकलराम।
5 शारदा पुत्री धोकलराम।
6 मनभरी पुत्री धोकलराम।
7 छोटी पुत्री धोकलराम।
8 श्रीमती झिमकोरी पत्नी शिशपाल।

RdL

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

9 श्रीमती संतोष देवी पत्नी शहीद सुरेश।
10 धर्मपाल पुत्र शीशपाल।
11 सुमन पुत्री शीशपाल।
12 हेमकरण पुत्री शीशपाल।
13 रोहिताश पुत्र शीशपाल।
14 होशियार पुत्र धोकलराम समस्त जाति जाट निवासीगण दूड़िया तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 08.10.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी बंशीधर आदि बनाम हेमकरण आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 157/2015

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजय सिंह बोराण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 11-12-23

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 157/2015 में पारित निर्णय दिनांक 08.10.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 ने धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 खसरा नम्बर 160,159 में आबादी एवं चाह बनाकर फसल काश्त करते है और उनके आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 खसरा नम्बर 180 मे से होते हुये अपीलांट के खसरा नम्बर की भूमि 183 मे से आवागमन करते है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 11 के खसरा नम्बर 159,160 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 183 में से कोई रास्ता नही है न तो वर्तमान में है और न ही पूर्व में कभी इस प्रकार का रास्ता रहा है फिर भी विचारण न्यायालय ने रास्ता कायम किये जाने का आदेश पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील नही हुई है। प्रार्थीगण ने तामिल कुनिन्दा से साज करके चस्पान्दगी से तामील करवाई है। विचारण न्यायालय द्वारा चस्पान्दगी से तामील के आदेश पारित नही किये गये है। प्रार्थीगण के पास आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। विचारण न्यायालय ने नायब तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार अपीलांट को सूचित किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति में मनमर्जी से मौका रिपोर्ट तैयार कर नियम 69,70 के विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2023 (1) पेज 490 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। तामील कुनिन्दा अपीलांट के आवास पर गया है। उपस्थित व्यक्तियों ने नोटिस लेने से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में तामील कुनिन्दा ने दो गवाहो की मौजुदगी में चस्पान्दगी से तामील करवाई है। ऐसी स्थिति में तामील के बिन्दु पर अपीलांट कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। विवादित रास्ते के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहा। ऐसी स्थिति में रास्ते की कार्यवाही के सन्दर्भ में अपीलांट को जानकारी थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका रिपोर्ट सक्षम स्तर से तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ता नही होने का स्पष्ट अंकन है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। यह मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढ़गौडजी द्वारा तैयार की गई है। इस मौका रिपोर्ट के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा धारा 251ए के नियम 69,70 की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक तामील का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। तामील कुनिन्दा अपीलांट के आवास पर गया है। उपस्थित व्यक्तियों ने नोटिस लेने से इन्कार किया है। ऐसी स्थिति में तामील कुनिन्दा ने दो गवाहो की मौजुदगी में चस्पान्दगी से तामील करवाई है। ऐसी स्थिति में तामील के बिन्दु पर अपीलांट कोई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

विवादित रास्ते के सन्दर्भ में पक्षकारों के मध्य सिविल न्यायालय में प्रकरण लम्बित रहा है। ऐसी स्थिति में रास्ते की कार्यवाही के सन्दर्भ में अपीलांट को जानकारी थी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ सीकर ★

रिपोर्ट सक्षम स्तर से तैयार की गई है। मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त वैकल्पिक रास्ता नही होने का स्पष्ट अंकन है। मौका रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा संलग्न किया गया है। यह मौका रिपोर्ट नायब तहसीलदार गुढ़गौडजी द्वारा तैयार की गई है। इस मौका रिपोर्ट के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा नियम 69,70 की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य प्रस्तुत प्रकरण से भिन्न है प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है एवं मौका रिपोर्ट के साथ नायब तहसीलदार द्वारा नजरी नक्शा संलग्न किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11-12-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुंझुनूं)